**<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>**

**<u>पीठासीन अधिकारी :— एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>**

**<u>प्रकरण संख्या 26/2016 (उदयपुर डिक्री)</u>**

नारायणलाल पिता सवा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्ट

**<u>बनाम</u>**

1. भीमा पिता मोडा जी मेघवाल, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. वेणा पिता मोडा जी मेघवाल, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामलाल पिता सवा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 30–06–2015 संशोधित डिक्री
दिनांक 30–11–2015, प्र.सं. 187/11

———/———

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u> 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

**<u>निर्णय</u>** **<u>दिनांक 02–02–2021</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मावली डांगियान में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित खाता संख्या 240 की आराजीयात कुल किता 13 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा स्थित है, जो वादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। उपरोक्त आराजियात का वादीगण के मध्य बंटवारा होकर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार भूमियां वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के पक्ष में आयी है। उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:41 IST
Reason: SelfAttested

को धमकी देते हैं, जिससे उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03–06–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–03–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08–03–2016 को वादीगण ने मौके पर आकर विवाद किया तो अपने वकील से सम्पर्क कर निर्णय के बारे में पता किया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व अदालत में बिना काउण्टर क्लेम पर विवेचन किये निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलान्टगण विवादित भूमि के खातेदार हो चुके हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित बताया तथा अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2050 से [illegible] में विवादित आराजियात वादीगण अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर उनके मध्य विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:41 IST
Reason: SelfAttested

होकर भूमियां वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार उनके हिस्से में रखी गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में राजस्व रेकार्ड अनुसार ही निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम का प्रश्न है, अपीलान्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2015 व संशोधित डिक्री दिनांक 30–11–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 02–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:41 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

**नारायणलाल पिता सवा जी डांगी, निवासी मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर** बनाम **भीमा पिता मोडा जी मेघवाल, नि0 मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**26/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**06**.....**2015**
**संशोधित डिक्री 30–11–2015**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**02**....माह.....**02**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी.....**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....
.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2015 व संशोधित डिक्री दिनांक 30–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**02**.....माह.....**02**.....**2021** को जारी किया गया ।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:41 IST
Reason: SelfAttested